बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, जहानाबाद

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, जहानाबाद

E-Mail- mdmjehanabad@gmail.com, Ph. No.- 06114-225540

संवेदक चयन से संबंधित विज्ञापन

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत जहानाबाद जिले के सात प्रखण्डो (जहानाबाद, मखदुमपुर, रतनीफरीदपुर, काको, मोदनगंज, घोषी एवं हुलासगंज) में मध्याह्न भोजन का खाद्यान्न वित्तीय वर्ष 2015–16 की शेष अवधि में संबंधित राज्य खाद्य निगम के गोदाम से उठाव कर प्रखण्ड के विद्यालयों तक पहुँचाने का कार्य करने के लिए संवेदक का चयन के लिए निविदा इच्छुक व्यक्तियों से आमंत्रित की जाती है।

1. किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी एक ही प्रखण्ड के लिए निविदा स्वीकार्य होगा। एक से अधिक प्रखण्ड के लिए निविदा मान्य नहीं होगा।
2. निविदादाता को निविदा के साथ आरक्षी अधीक्षक/अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय से तीन महीने के अन्दर का निर्गत किया हुआ चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है।
3. निविदादाता को 15 पंचायत तक के प्रखण्ड हेतु कम से कम 05 ट्रक/ट्रैक्टर–टेलर सहित एवं 15 से अधिक पंचायत वाले प्रखण्ड हेतु 08 ट्रक/ट्रैक्टर–टेलर सहित के मालिक के इस आशय का एकरारनामा सम्पन्न करके निविदा में प्रस्तुत करना होगा की संवेदक के रुप में निविदादाता का चयन होने की स्थिति में वे अपना वाहन एवं चालक इत्यादि खाद्यान्न ढुलाई हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे।

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत की कुल संख्या
1	जहानाबाद	14
2	काको	16
3	मखदुमपुर	22
4	रतनीफरीदपुर	14
5	मोदनगंज	08
6	घोषी	10
7	हुलागसंज	09

4. निवंधित व्यवसायिक वाहनों का ही एग्रीमेंट मान्य होगा। वाहन से संबंधित कागजात यथा प्रत्येक वाहन का Permit, Fitness, Pollution, Registration, Tax Payment, Insurance, एवं Driver का Driving License व्यवसायिक एवं अद्यतन होना चाहिए। वाहन से संबंधित कागजात अप्राप्त रहने या अद्यतन नहीं रहने या किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर एकरारनामा मान्य नहीं समझा जाएगा। ट्रैक्टर टेलर होने की दशा में दोनों का पंजीकरण एवं अन्य कागजात देना अनिवार्य है।
5. एक वाहन का एकरारनामा किसी एक ही निविदादाता के साथ मान्य होगा। एक से अधिक निविदादाता के साथ एकरारनामा की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक का सभी एकरारनामा रद्द माना जाएगा।
6. चावल का उठाव/वितरण के समय वाहन में Global Positioning System (GPS) मशीन लगा होना अनिवार्य होगा, एवं वाहन के डल्ला पर मध्याह्न भोजन योजना, जहानाबाद संबंधित प्रखण्ड का नाम एवं सम्पर्क नम्बर 06114–225540 एवं 07808320033 को बड़े अक्षरों में अंकित करना होगा।
7. एकरारनामा के समय संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा की जिन वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, उसमें वाहन के साथ साथ जीवन एवं ढोये जाने वाले माल का भी समुचित बीमा हो।
8. निविदादाता के अपने नाम पर ट्रक/ट्रैक्टर टेलर सहित पंजीकृत रहने पर संख्या क्रम के अनुसार निविदा के निर्धारण में प्राथमिकता दिया जाएगा। चयनित होने के पश्चात् यदि किसी कारणवश/दुर्घटनावश वे अपना स्वयं के वाहन को बेचते है और वाहन खदीदते हैं तो इसकी सूचना कार्यालय को देनी होगी।
9. एस0एफ0सी0 गोदाम से चावल का उठाव चयनित संवेदक एवं प्रखण्ड साधनसेवी, मध्याह्न भोजन योजना के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायगा। उठाव किये गये खाद्यान्न की प्रविष्टि उठाव के समय ही संवेदक एवं प्रखण्ड साधनसेवी के द्वारा एस0 आई0 ओ0 पर दी जायगी। चावल की मात्रा एवं गुणवत्ता के लिए प्रखण्ड साधनसेवी एवं चयनित संवेदक संयुक्त रुप से जिम्मेवार होंगे। संवेदक प्रत्येक बैग पर प्रखण्डवार नाम Stencil से अंकित करेंगे। चावल उठाव हेतु वाहन, ईधन एवं लगने वाले हथालन–परिवहन आदि की व्यवस्था स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे। संवेदक प्रखण्ड साधनसेवी से प्राप्त विद्यालयवार खाद्यान्न एडवाईस के अनुसार संबंधित विद्यालयों को समयावधि के अन्दर चावल विद्यालय के स्टोर तक पहुँचायेंगे तथा विहित प्रपत्र में विद्यालय के प्रधानाध्यापक से चावल का प्राप्ति रसीद प्राप्त करेंगे। संवेदक के द्वारा चावल का वजन

इलेक्ट्रॉनिक कॉटा पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के सामने करके देंगे। विद्यालय से प्राप्त खाद्यान्न की प्राप्ति रसीद तुरंत संवेदक के द्वारा प्रखण्ड साधनसेवी को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रखण्ड साधनसेवी के द्वारा विद्यालय में संवेदक के द्वारा पहुँचाये गये चावल का सत्यापन MIS से कर पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही खाद्यान्न प्राप्ति रसीद की छायाप्रति के साथ हथालन एवं परिवहन की राशि हेतु विपत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जहानाबाद को भेजेंगे। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अपने स्तर से संतुष्ट होने के उपरान्त प्रति क्विंटल 40/रुपये की दर से हथालन एवं परिवहन की राशि का भुगतान करेंगे।

10. एस0 एफ0 सी0 गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाने के दौरान दुर्घटना या किसी अन्य कारण से खाद्यान्न बर्बाद होने या चोरी होने की जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा बाजार दर पर खाद्यान्न की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली संवेदक से की जायगी।
11. संवेदक को चावल ढुलाई हेतु जब भी बुलाया जायगा, अपेक्षित संख्या में संबंधित माल ढुलाई के लिए वाहन को लेकर एस0 एफ0 सी0 गोदाम पर आना होगा।
12. ससमय खाद्यान्न ढुलाई नहीं करने या अपेक्षित संख्या में वाहन नहीं लाने या चावल की अनियमितता में विद्यालय के प्रभारी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से संलिप्त रहने पर निविदा रद्द करते हुए कार्यालय में जमा राशि की जप्ति एवं कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है।
13. निर्वाचित जनप्रतिनिधि या जन वितरण प्रणाली के दुकानदार से निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। निर्वाचित जनप्रतिनिधि या जन वितरण प्रणाली के दुकानदार नहीं होने के विरुद्ध स्वयं शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
14. निविदा से संबंधित जानकारी जिला कार्यालय/वेवसाईट से डाउनलोड करके प्राप्त किया जा सकता है।
15. निविदादाता को दस हजार रुपये का अग्रिम सुरक्षित जमा राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जहानाबाद के नाम से निर्गत होना चाहिए। संवेदक की सेवा जारी रहने तक सुरक्षित जमा राशि कार्यालय में जमा रहेगा।
16. निविदादाता को निविदा के साथ पचास हजार रुपया का बैंक गारंटी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जहानाबाद के पक्ष में निविदा के साथ जमा करना होगा। बैंक की गारंटी की वैद्यता एक वर्ष की होनी चाहिए।
17. जिस निविदादाता का चयन नहीं होता है, उनका बैंक गारंटी एवं बैंक ड्राफ्ट निविदा के संबंध में अंतिम निर्णय लिये जाने के बाद वापस कर दिया जाएगा।
18. निविदा प्राप्त होने की अंतिम तिथि **12.01.2016** अपराह्न **03:00 बजे** तक है। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। बन्द लिफाफे के उपर प्रखण्ड का नाम तथा आवेदक का मोबाईल नम्बर बड़े–बड़े अक्षरों में एवं साफ–साफ लिखा होना चहिए। निविदा समाहरणालय के सभा कक्ष में दिनांक **13.01.2016** को पूर्वाह्न **11:30 बजे** खोली जायेगी।
19. विभागीय शर्तें चयनित संवेदको के साथ एकरारनामा में दिया जायेगा।
20. एक से अधिक योग्य आवेदक होने की स्थिति में लौटरी के माध्यम से संवेदक का चयन किया जाएगा।
21. उपरोक्त सातो प्रखण्डों यथा जहानाबाद, मखदुमपुर, रतनीफरीदपुर, काको, मोदनगंज, घोषी एवं हुलासगंज की निविदा खुलने की सूचना दूरभाष/मोबाईल से दी जायेगी। निविदा खुलने के समय निविदादाता निविदा में वर्णित सभी मूल कागजातो के साथ निविदा खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।
22. निविदा की शर्तो को शिथिल करने या संशोधित करने का अधिकार चयन समिति को होगा तथा निविदा किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

निविदा आमंत्रण का पता :–
जिला कार्यालय, मध्याह्न भोजन योजना, जहानाबाद।
प्रखण्ड संसाधन केन्द, जहानाबाद,
नजदीक श्री कृष्ण महिला कॉलेज, जहानाबाद।
जिला जहानाबाद।

22-12-15

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना, जहानाबाद।

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद।